अररिया समाहरणालय
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष सं0 : 06453-222001(का0)
06453-222102(आ0)
फैक्स सं0 : 06453-222124
Email : dm-araria.bih@nic.in

अल्पकालीन निविदा सूचना

सम्भावित बाढ़-2016 की पूर्व तैयारी के लिए एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच राहत मुहैया कराने के उद्देश्य से अधोलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जिसके दर निर्धारण हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से सीलबंद निविदा प्राप्त करने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदादाताओं को जिला पदाधिकारी, अररिया के पदनाम से मो0 10,000.00 (दस हजार) रुपये की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में या नगद जिला नजारत प्रशाखा, अररिया में जमा करनी होगी। अल्पकालीन निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि .... को अपराह्न 1.00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। आवश्यक सामग्रियों की सूची निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	साईज/गुणवत्ता	विशिष्टियाँ/अन्य विवरणी	सामग्री की मात्रा
1	प्लास्टिक थैला	4m x 5m (250 माईक्रॉन का)	दर प्रति किलो	आवश्यकतानुसार
2	चुड़ा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
3	चना	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
4	गुड़	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
5	सत्तू (चना का)	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
6	आयोडाइज्ड नमक	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
7	दिया सलाई-मझौला साईज	उत्तम किस्म का	दर प्रति पैकेट (10 की संख्या में)	आवश्यकतानुसार
8	मोमबत्ती	उत्तम किस्म का (ल0-6.5" गो0-2.5")	दर प्रति पैकेट (06 की संख्या में)	आवश्यकतानुसार
9	चावल (मंसूरी)	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
10	दाल (अरहर, चना, मूंग, मसूर)	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
11	सरसों तेल	उत्तम किस्म का	15 किलोग्राम का प्रति टीन	आवश्यकतानुसार
12	मसाला-जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गोल मिर्च पाउडर	उत्तम किस्म का	दर प्रति किलोग्राम (अलग-अलग)	आवश्यकतानुसार
13	आलू/प्याज	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
14	जलावन की लकड़ी	सुखी हुई	दर प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
15	वाटर प्रूफ टेंट/पण्डाल (भाड़े पर)	तिरपाल, सूती एवं प्लास्टिक इत्यादि	प्रतिदिन के दर से	आवश्यकतानुसार
16	धोती	-	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
17	साड़ी	-	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
18	गंजी	-	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
19	लुंगी	-	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
20	गमछा	-	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
21	जेनेरेटर (भाड़े पर ईंधन सहित)	प्रतिदिन 08 घंटा चलने के आधार पर (राहत शिविर पहुँचाकर)		आवश्यकतानुसार

22	सभी प्रकार के जेनेरेटर से चलने वाला लाईट (भाड़े पर)	प्रतिदिन के दर से (प्रत्येक 10 मीटर पर एक सी0एफ0एल0 बल्ब, राहत शिविर में लगाने सहित)	आवश्यकतानुसार
23	खाना बनाने वाला सभी प्रकार के बर्त्तन (भाड़े पर)	प्रतिदिन के दर से (एक रसोईया एवं चार मजदूर सहित)	आवश्यकतानुसार
24	खाना बनाने का गैस चुल्हा (भाड़े पर)	बड़ा साईज का प्रतिदिन के दर से	आवश्यकतानुसार
25	दरी, सभी साईज का (भाड़े पर)	प्रतिदिन के दर से	आवश्यकतानुसार

निविदा की आवश्यक शर्तेः–

1. निविदा के साथ अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठान का अधिनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर एवं आयकर प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।
2. निविदा में सभी सामग्रियों की सभी करों सहित दर स्पष्ट करना आवश्यक होगा।
3. निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता सभी सामग्रियों का नमूना साथ में लाएगें ताकि उनकी गुणवत्ता एवं वजन आदि की जाँच की जा सके।
4. स्वीकृत की गयी निविदा के निविदादाताओं को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि वे आपूर्ति आदेश के 24 घंटे के अन्दर नमूना के अनुरूप साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति करेंगे एवं आवश्यकतानुसार जिला के सभी 09 अंचल मुख्यालय तक पहुँचाएँगे। इसके लिए अलग से कोई परिवहन शुल्क या अन्य भुगतान नही किया जायेगा।
5. स्वीकृत की गयी निविदा के निविदादाता नमूना के अनुसार सामग्रियों के भण्डारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे।
6. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति नही किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध कानूनी कारवाई करते हुए आपूर्ति की गयी सामग्रियों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. स्वीकृत निविदाकर्त्ता के द्वारा ससमय सामग्री नही आपूर्ति किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदाकर्त्ताओं से स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर आपूर्ति ली जा सकती है।
9. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं की जमानत राशि शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी।
10. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

विशेष जानकारी के लिए जिला पदाधिकारी, अररिया के बेवसाईट dm-araria.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
अररिया